प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

दिनांक- 12.10.2019 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।

- **साइबर अपराधी ने ऑनलाइन फ्रॉड करके अनेक लोगों के खाते से उड़ाया पैसा, साइबर सेल कुशीनगर द्वारा कराया गया वापस-**

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा फरियादियों के प्रार्थना पत्रों पर संज्ञान लेते हुए साइबर सेल को निर्देशित किया गया था कि प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम धनराशि को यथा सम्भव उनके खाते में वापस करा दिया जाय तथा उक्त अपराधियों पर भी सख्त कार्यवाही की जाय। श्रीमान् पलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार साइबर सेल ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अनेक व्यक्तियों के खाते से अवैध तरीके से निकाले गये धनराशि को उन्हीं के खाते में वापस कराने में सफलता हासिल की। फरियादियों द्वारा दिये गये प्रार्थना प्रत्रों के जांचोपरांत पाया गया कि अधिकांश लोगो का पैसा फोन पर अपने खाते व ए0टी0एम0 की जानकारी बताने व कुछ लोगो को 'Phone Pe' और 'Google Pay' (Tez) नामक कैश वैटेल से कैश प्राप्त करने का लिंक भेजकर खाते से पैसा अपराधियो द्वारा निकाला गया है। जांचोपरांत यह भी पाया गया कि अधिकांश लोग 'Phone Pe' और 'Google Pay' (Tez) नामक कैश वैटेल का प्रयोग तो करते हैं। लेकिन कैश वैलेट द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। जैसे- 'Phone Pe' और 'Google Pay' (Tez) नामक कैश वैटेल में सुविधा है कि कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को पैसा भेजने हेतु तथा पैसा मंगाने हेतु लिंक भेज सकता है। इसी सुविधा का प्रयोग करके साइबर अपराधी दूसरे व्यक्ति को लालच देकर या 'OLX' या दुकान से सामान खरीदने के नाम पर पैसा भेजने वाली लिंक भेजने के बजाय पैसा मगाने वाली लिंक भेज देते है और सामने वाला समझता है कि उसको पैसा मिलेगा जबकि लिंक पर टच करके Accept करते ही उनके खाते से पैसा कट कर साइबर अपराधी के खाते में चला जाता है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उक्त के क्रम में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फरियादी 1-मो0शमीम सा0 कसया के भारतीय स्टेट बैंक में खोले गये खाते से जारी किये गये क्रेडिट कार्ड से धोखे से ऑनलाइन कैश वैलेट (Mobikwik) माध्यम से 03 बार में रु0 52000/-,रु0 60000/-,व रु0 60000/- कुल 172000/- काटकर कैश वैलेट में इकट्ठा कर लिया गया तथा बृजलाल मिश्रा सा0 कसया के बैंक खाते से ऑनलाइन कैश वैलेट (Phone pe & Digiosk) के माध्यम से 04 बार में रु0 5175/-, रु019999/-,4140/- व रु0 19999/- कुल रु0 49313/- काटकर कैश वैलेट में इकट्ठा करके डिजिटल गोल्ड की खरीददारी कर लिया था । श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशानुसार उक्त के क्रम में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त दोनो फरियादियों के विभिन्न बैंकों में खोले गये बचत खातो में मो0 शमीम को उक्त कैश वैलेट को फ्रीज कराते हुए वैलेट में उपलब्ध धनराशि रुपया 48420/- व बृजलाल मिश्रा को रुपया 37526/- वापस करा दिया गया तथा फ्राड करने वाले के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इस कार्य को आरक्षी अनिल कुमार यादव साइबर सेल द्वारा सम्पादित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में कार्य कर रही साइबर पुलिस टीम ने बताया कि साइबर फ्राड होने की दशा मे यदि फरियादी साइबर ठगी होने के 24 घण्टे के अन्दर सूचना देता है तो फ्राड किये गये पैसो की वापसी की सम्भावना अधिक रहती है

साइबर फ्राड से बचाव का तरीका-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री विनोद कुमार मिश्र द्वारा बताया गया कि आज के आधुनिक परिवेश में सबसे अधिक साइबर फ्राड फोन करके ओ0टी0पी0 पूछकर पैसे निकालते समय ए0टी0एम0 कार्ड का नं0 व पासवर्ड चोरी करके ऑनलाइन वैलेट के माध्यम से किया जा रहा जिससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि फोन पर किसी भी व्यक्ति को अपने खाते से सम्बन्धित जानकारी साझा न करें और एटीएम बूथ से पैसे निकालते समय बूथ में अकेले ही प्रवेंश करे व अपना पासवर्ड छुपा कर दर्ज करें। अधिकतर साइबर अपराधी एटीएम बूथ में भीड़ का फायदा उठाकर साथ ही एटीएम बूथ के अन्दर प्रवेश कर जाते है। एवं सामने वाले व्यक्ति के पैसा निकालते समय ही उसका एटीएम कार्ड नं0 व पासवर्ड याद कर लेते है। जिसका भनक तक सामने वाले व्यक्ति को नही लगती है कि उसका एटीएम कार्ड नं0 व पासवर्ड चोरी हो गया है। यदि इस तरह का किसी भी प्रकार का शक हो तो तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दें।

अबैध शराब विक्रय /परिवहन/ निर्ष्कषण के तहत की गयी कार्यवही-

थाना तरयासुजान-

आज दिनांक 12.10.2019 को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री विनोद कुमार मिश्र के निर्देशन में अवैध शराब तस्करी के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा बहद ग्राम लतवा बाजार स्थित होटल के पास से 02 अभियुक्तों 1.सुनील यादव उर्फ विनोद पुत्र राजेन्द्र यादव साकिन लतवा मुरलीधर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर, 2.जय प्रकाश यादव पुत्र श्री रमाकांत यादव साकिन डिबनी बंजरवा थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 260 पौवा अवैध देशी शराब व 10 लीटर स्प्रीट की बरामदगी की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 460/19 धारा 60 आ0अधि0 272 भादवि में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1-सुनील यादव उर्फ विनोद पुत्र राजेन्द्र यादव साकिन लतवा मुरलीधर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर।

2-जय प्रकाश यादव पुत्र श्री रमाकांत यादव साकिन डिबनी बंजरवा थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 06 पेटी में देशी शराब कुल 260 शीशी बन्टी बबली ।
2. 10 ली0 स्प्रीट।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 जगमेन्दर चौकी प्रभारी बहादुरपुर थाना तरया सुजान कुशीनगर

2.आबकारी निरीक्षक अमरनाथ कश्यप क्षेत्र 4 कुशीनगर

3.उ0नि0 श्री मिलन कुमार थाना तरया सुजान कुशीनगर

4.हे0का0 कृपाशंकर दूबे क्षेत्र 4 कुशीनगर

5.हे0का0 अनिल कुमार एसएसटी गोरखपुर

6.हे0का0 अखिलेश यादव चौकी बहादुरपुर थाना तरया सुजान कुशीनगर

7.का0 अनिल यादव चौकी बहादुरपुर थाना तरया सुजान कुशीनगर

थाना खड्डा-

थाना खड्डा पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त शनी पुत्र मानसिंह निवासी खड्डा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 अबैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 176/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना अहिरौली बाजार-

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त शनी मनीष कुमार पुत्र जयनाथ प्रसाद निवासी सुबुधिया बुजुर्ग थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अबैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 257/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कसया-

थाना कसया पुलिस द्वारा 20 ली0 अबैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 176/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **वारंटियों की गिरफ्तारी- (कुल-01)**

थाना कोतवाली पडरौना-

थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा 01 **नफर वारंटी** इम्तेयाज उर्फ डब्लू पुत्र निजामुद्दीन सा0 बसहिया बनबीरपुर थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0नं0 388/19 धारा 128 CRPC में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-**

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 17 **नफर अभियुक्तों** को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

- **कार्यवाही एक नजर में =**

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही – सीज-01, कुल वाहन-08, शमन शुल्क-3500/-
2- आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-4, अभि0-04, बरामदगी-06 पेटी में देशी शराब कुल 260 शीशी बन्टी बबली, 10 ली0 स्प्रीट, 50 ली0 कच्ची अवैध शराब ।
3- वारंटियों की गिरफ्तारी- (कुल-01)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी –(कुल-22)।

मीडिया सेल
कुशीनगर